तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी/टी.ए./2005/46/बून्दी **दाखाबाई आदि बनाम कमला आदि**	
	एकल-पीठ **श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य**	
03-10-2019	**उपस्थिति :-** श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी श्री जी.एस. लखावत, अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** 1- यह निगरानी अन्तर्गत धारा-230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी के निर्णय दिनांक 20-11-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2- निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या-1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा-53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी के समक्ष प्रस्तुत किया। वाद के विचाराधीन रहने के दौरान निगरानीकर्ताओं ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-1 नियम-10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी के निर्णय दिनांक 20-11-2004 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3- बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 4- निगरानीकर्ताओं के विद्वान अभिभाषक की बहस है कि निगरानीकर्ता चन्द्रा की पुत्रियां हैं जो कि वाद में आवश्यक पक्षकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 2005 / 46 / बून्दी** **दाखाबाई आदि बनाम कमला आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हैं। वाद में इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है अतःप्रार्थना पत्र स्वीकार कर इन्हें पक्षकार बनाया जाये।

5– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि निगरानीकर्ता न तो रिकार्डेड खातेदार है और न ही उनका विवादित भूमि में कोई हिस्सा व कब्जा है। आवश्यक पक्षकार नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से उनका प्रार्थना पत्र खारिज किया है अतः निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– दावा संख्या–34/2004 की मद संख्या–3 में अंकित है ‘‘यह कि उक्त कृषि भूमियों के मूल खातेदार चन्द्रा तथा चतरा एवं माधो पिसरान गोधू जाति गुर्जर निवासी ग्राम बासनी थे तथा उक्त कृषि भूमियों में चन्द्रा, चतरा एवं माधो प्रत्येक का हिस्सा 1/3–1/3 था। उपरोक्त कृषि भूमियों का उक्त तीनों भाईयों ने उसके जीवनकाल में ही निम्नांकित रूप से आपसी बंटवारा कर लिया था तथा हिस्से अनुसार अपने बंटवारे में आई कृषि भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते रहे।

(अ) चन्द्रा के हिस्से एवं कब्जे की कृषि भूमियां :–

खसरा नम्बर	**रकबा**
896 पाटी	1 बीघा 9 बिस्वा
899 सड़क हालो	1 बीघा 8 बिस्वा
798 पटवड़ा हालो	–– 16 बिस्वा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2005/46/बून्दी</u>** **दाखाबाई आदि बनाम कमला आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

804 पीपली हालो -- 9 बिस्वा

718 जुवाड़या -- 19 बिस्वा में से 09 बिस्वा चन्द्रा की मृत्यु हो जाने के कारण उसके पुत्र मांग्या व छोटू होने एवं छोटू के ''लाऔलाद विला औरत'' फौत होने व मांग्या के भी फौत होने के कारण मांग्या की पत्नी शांति का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। निगरानीकर्ता चन्द्रा की पुत्रियां हैं और उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ। इस कारण वे वाद में आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाकर त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकर्ताओं को वाद में प्रतिवादी के तौर पर पक्षकार बनाया जाता है। निगरानीकर्ताओं को आदेशित किया जाता है कि आगामी तिथि 4-11-2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। वादी आगामी तिथि को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस लौटाई जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 46 / बून्दी</u>** **दाखाबाई आदि बनाम कमला आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए